



कयर बोर्ड COIR BOARD

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of MSME, Govt. of India)

कॉयर हाउस / Coir House,
एम.जी.रोड M.G. Road,
कोच्चि / Kochi 682 016
दूर भाष/Tel : +91-484-2351807/
2351788/2351954
फैक्स/Fax : +91-484-2370034 2354397
ई-मेल/e-mail : coirboard@nic.in
वेब/ Web: info@coirboard.org

कार्यालय आदेश सं.....7..... दिनांक.....16-07-2021.....

विषय: कयर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी) का कार्यान्वयन - सं.

मंत्रालय के दिनांक 3 नवंबर 2010 के पत्र संख्या 2(18)/2019-कयर/801 के तहत कयर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पूर्व की एसीपी योजना के बदले में दिनांक 01-09-2008 से प्रभावी एमएसीपी योजना का विस्तार बढ़ाने हेतु मंत्रालय के अनुमोदन के अनुरूप, दिनांक 07.07.2021 को विधिवत् हुई स्क्रीनिंग समिति ने एमएसीपी के तहत दिनांक 10.04.2021 से प्रभावी श्रीमती पी.के.विजयलक्ष्मी, उप निदेशक के वित्तीय उन्नयन के लाभ को वेतन स्तर 10 से वेतन स्तर 11 तक बढ़ाने की सिफारिश की।

एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दि. 19 मई, 2009 के का.जा. और दि. 22 अक्टूबर, 2019 को संशोधित का.जा. के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में दिए गए नियम/मार्गनिर्देश द्वारा शासित है।

वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर कर्मचारी या तो वित्तीय उन्नयन की तारीख से या वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन के निर्धारण के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। वेतन के लिए विकल्प, यदि कोई हो, तो निर्धारित समय के भीतर मुख्यालय में प्राप्त करना होगा, ऐसा न करने पर वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारित किया जाएगा।

यह अध्यक्ष, कयर बोर्ड के दि. 14.07.2021 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह-/

सचिव

जारी करने हेतु अनुमोदित

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में

श्रीमती पी.के. विजयलक्ष्मी, उप निदेशक, कयर बोर्ड, कोच्चि-16

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त निदेशक (यो)
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी
3. मुख्यालय के सभी अनुभाग व शाखाधिकारी
4. सभी उप कार्यालय व शोरूम व बिक्री केन्द्र
5. लेखा अनुभाग
6. संबंधित वैयक्तिक फाइल
7. स्टॉक फाइल

(फाइल सं.ए-59/15/2021-प्रशा(कार्मिक) से जारी किया जाता है)



कयर बोर्ड
COIR BOARD

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of MSME, Govt. of India)

कॉयर हाउस / Coir House,
एम.जी.रोड M.G. Road,
कोच्ची / Kochi 682 016
दूर भाष / Tel: +91-484-2351807/
2351788/2351954
फैक्स / Fax: +91-484-2370034 2354397
ई-मेल / e-mail: coirboard@nic.in
वेब / Web: info@coirboard.org

OFFICE ORDER No. 7 DATED 16.07.2021

Sub: Implementation of the Modified Assured Career Progression Scheme (MACP) to the employees of Coir Board - Reg.

In line with the approval of Ministry for extension of the MACP Scheme to the employees of the Coir Board w.e.f 01.09.2008 in lieu of the earlier ACP Scheme vide Ministry's letter No.2(18)/2019-Coir/801 dated 3rd November 2010, the duly constituted Screening Committee met on 07.07.2021 recommended the extension of the benefit of Financial Upgradation under MACP from Pay Level 10 to Pay Level 11 to **Smt. Vijayalekshmy. P. K., Deputy Director w.e.f 10/04/2021.**


The grant of financial upgradation under MACP Scheme will be governed by the Rules/Guidelines in the Annexure-I attached to the O.M. of the Ministry of Personnel, Public Grievances (Department of Personnel and Training) dated 19th May, 2009 and modified on dated 22nd October 2019.

On grant of Financial Upgradation the employee may exercise her option for fixation of pay either from the date of Financial Upgradation or on the date of accrual of Annual Increment. The option for pay, if any has to be received in the Head Office within the time stipulated, failing which the pay will be fixed with effect from the date of financial upgradation.

This issues with the approval of Chairman, Coir Board Dated 14.07.2021.

Sd/-
SECRETARY

Approved for Issue


ADMINISTRATIVE OFFICER

To,

Smt. Vijayalekshmy. P. K., Deputy Director, Coir Board, Kochi-16.

Copy to:

1. Joint Director (Plg.)
2. Senior Accounts Officer
3. All Sections /Branch Heads in Head Office
4. All Sub Offices and Showrooms
5. Accounts Section
6. Personal Files concerned
7. Stock file

Issued from file No. No.A-59/15/2021-ADM(PERSONNEL)